[2013] 14 एस.सी.आर. 904

झारखंड राज्य और अन्य बनाम हरिहर यादव और अन्य

(सिविल अपील सं. 10515 of 2013)

नवंबर, 2013

[अनिल आर. दवे और दीपक मिश्रा जे.जे.]

सरकारी कंपनी- बिहार राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी (भालको)- अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना- बिहार राज्य के विभाजन पर, कंपनी को झारखंड राज्य द्वारा लिया गया और नाम दिया गया (झालको) - केवल भालको के कुछ कर्मचारियों द्वारा अवशोषित) - कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके उन्हें झालको में शामिल करने और उनके देय वेतन के भुगतान की मांग की गई- दोनों राज्य वेतन का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व से इनकार करते हैं - उच्च न्यायालय द्वारा झालको को वेतन का भुगतान करने और भालको के कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश- अपील में, राज्यों ने यह याचिका दायर की कि कर्मचारियों के लिए उचित उपाय कंपनी अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत था- कर्मचारियों ने अवशोषण के लिए अपने दावे को त्यागना स्वीकार कर लिया: जब कोई राज्य विभाजित होता है, तो राज्यों और केंद्र दोनों को अधिनियम के तहत कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और गरीब कर्मचारियों को बिना किसी गलती के उच्च और शुष्क नहीं छोड़ सकते हैं और पीड़ित नहीं हो सकते हैं- कर्मचारियों को कंपनी अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत उपचार लेने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान मामले में समस्या, मानवाधिकारों और जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक है। लेख .संविधान की धारा 21- यह भी ऐसा मामला नहीं है जहां कर्मचारियों की सेवाओं को हटा दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है या पदों को समाप्त कर दिया गया है-यह ऐसा मामला नहीं है जहां राहत केवल वादी- कर्मचारियों तक ही सीमित हो सकती है- इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, रा ज्यों को ब्याज के साथ कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान करने का निर्देश- अवशोषण के लिए दावा बंद है।

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

-बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा- एस 65-कंपनी अधिनियम, क 1956- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

भारत का संविधान, 1950- प्रस्तावना औरअनुच्छेद 12- सरकारी कंपनियाँ- एक नियोक्ता के रूप में कर्तव्य- धारितः कला के अर्थ के भीतर नियोक्ता सामाजिक और आर्थिक न्याय के पवित्र उद्देश्यों के संदर्भ में कार्य करने के लिए 12 का एक पवित्र कर्तव्य है- सुशासन की स्थिति में, सरकार एक विदेशी की तरह कार्य नहीं कर सकती है- इसकी भुगतान करने के लिए एक सक्रिय भूमिका है।

बिहार राज्य द्वारा एक सरकारी कंपनी 'बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (भाल्को) का गठन किया गया था और कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत किया गया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा बिहार राज्य के बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजन के बाद, पूर्ववर्ती भाल्को की संपत्ति और देनदारियों को झाल्को (झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड) और झारखंड राज्य द्वारा विलय/ अधिग्रहण कर लिया गया था।

पूर्ववर्ती भाल्को के कर्मचारियों द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें झाल्को के साथ अवशोषित कर लिया गया है और उनके पिछले वेतन का भुगतान भी किया गया है, जो उन्हें पूर्ववर्ती भाल्को द्वारा वर्ष 1995 से नहीं किया गया था।

इस बीच, जनहित में एफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार राज्य में सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने कामगारों और अन्य कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कर्मचारियों पर निर्भर बड़ी संख्या में परिवारों की मौत और दुख हुआ था। भाल्को को भी ऐसी ही कंपनियों में से एक के रूप में नामित किया गया था। इस न्यायालय ने परिसमापन कार्यवाही, कंपनियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों की जांच के लिए एक समिति के गठन सहित कई निर्देश जारी किए और बिहार राज्य को कंपनियों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के समक्ष इस अदालत के निर्देश पर समिति का गठन किया गया था। झारखंड राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष यह रुख अपनाया कि वह भाल्को का उत्तराधिकारी नहीं था और एक नया निगम था और इसलिए इसका दायित्व नहीं है।
बिहार राज्य ने भी अपने दायित्व से इनकार किया। इस न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित रिट याचिका का निपटान करने का निर्देश दिया, जिसमें अंतिम अवशोषण, पिछले वेतन और उसी का भुगतान करने के दायित्व के प्रश्नों का निर्धारण किया गया।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 65 को ध्यान में रखते हुए, झाल्को, भाल्को के समान इकाई है और इसलिए प्रत्यर्थी/ कर्मचारी उस तारीख से झाल्को की सेवाओं में समामेलित होने के हकदार थे, जब उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.2005 को दिए गए निर्देश के अनुसरण में अपने समामेलन के लिए आवेदन किया था ।वे

झाल्को द्वारा भुगतान किए जाने वाले अपने समामेलन की तारीख से वेतन प्राप्त करने के हकदार थे। एकल न्यायाधीश के आदेश को एल. पी. ए. द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया था। इसलिए वर्तमान अपीलें हैं।

बिहार राज्य और भालको ने तर्क दिया कि संपत्ति और पूर्ववर्ती भालको की देनदारियों को झालको द्वारा ले लिया गया है, यह दायित्वों को पूरा करने के लिए झालको का कर्तव्य है; और अवशोषण सहित वेतन और सेवा शर्तों के गैर- भुगतान के संबंध में शिकायत निपटारे में कंपनी अधिनियम, 1956 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्रदान किए गए वैधानिक उपचारों का सहारा लिया गया है।

झारखंड राज्य और झालको ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देकर अवैधता की कि अवशोषित कर्मचारी भालको में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं का लाभ के हकदार होंगे।

प्रतिवादी- कर्मचारी, हालांकि शुरू में अवशोषण के लिए दबाव डाला था, फिर भी सुनवाई के दौरान, वेतन के भुगतान के संबंध में न्यायालय के निर्देश को स्वीकार किया।

अपीलों का निपटारा करते हुए,
न्यायालय ने कहाः 1. सामाजिक पहलू और आर्थिक पहलू कल्याणकारी राज्य का आदर्श लक्ष्य है। संविधान सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य पर एक जिम्मेदारी डालता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए राज्य द्वारा राजी किए जाने के मार्ग को रोशन करने वाली फ्लडलाइट है। यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि संविधान में निहित दर्शन राज्य द्वारा विचलन का मार्ग प्रशस्त करने से प्रभावित न हो। संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर' नियोक्ता का सामाजिक और आर्थिक न्याय के पवित्र उद्देश्यों के संदर्भ में कार्य करने का एक पवित्र कर्तव्य है।

जगदीश सरन बनाम भारत संघ (1980) 2 एस. सी. सी. 768:1980 (2) एस. सी. आर. 831; चमेली सिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यू. पी. ई एफ और अन्य । (1996) 2 एस. सी. सी. 549:1995 (6) पूरक। एससीआर 827; पीजी. गुप्ता बनाम गुजरात राज्य और अन्य। 1995 सप. (2) एस. सी. सी. 182:1994 (6) पूरक। एससीआर 628; डी एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एस सी सी 3051983 (2) एससीआर 165; जेके कपास कताई और बुनाई मिल्स कंपनी बनाम भारत के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण एआईआर (1964) एससी 737: 1964 एससीआर 724; मैसूर राज्य बनाम सोने की खानों के श्रमिक एआईआर 1958 SC 923:1959 एससीआर 895; एससीआर. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत ममार्दे बनाम प्राधिकरण (1972) 2 एस सी सी 108:1973 (1) एससीआर 161; S.P. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) सप एससीसी 87: 1982 एससीआर 365; रेमन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर (2001) 1 एससीसी 118: 2000 (4) सप्लीमेंट. एससीआर 550- हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य भंडारण निगम (2010) 3 एस. सी. सी. 192:2010 (1) एस. सी. आर. 591; बलबीर कौर और अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य(2000) 6 एस. सी. सी. 493:2000 (3) एससीआर 1953- पर आधारित है।

2. जब किसी राज्य को संसदीय कानून द्वारा विभाजित किया जाता है, तो राज्यों और केंद्र दोनों को अधिनियम के तहत कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और उन्हें काफी शीघ्रता से लिया जाना चाहिए। गरीब कर्मचारियों को कर्मचारियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और बिना उनकी गलती के के वो पीड़ित न हों ।

3. वर्तमान मामले में त्रासदी केवल विभाजन के कारण हुई है। यह सच है कि कानून के तहत विभाजन किया गया है और केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की भूमिका सौंपी गई है। लेकिन कर्मचारियों के साथ इस तरह से किया गया है जैसे कि वे गिनी सूअर हैं, कानूनी रूप से अनुमत नहीं है और बिल्कुल अनुचित है। यह संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाता है और किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

4. झारखंड राज्य ने जिम्मेदारी संभाली और बिहार राज्य ने, जैसा कि यह प्रतीत होता है, मौन रूप से इस पद को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी झाल्को की दया पर बने रहे। बाद में दोनों राज्यों के बीच असहमति और मतभेद के कारण विवाद पैदा हुआ और यह कहा गया कि परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के लिए एक निर्णय लिया गया था और केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 65 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य को परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया। झारखंड राज्य के अस्थिर रुख के कारण एक परेशान करने वाली और असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। यह विवाद में नहीं है कि झाल्को ने कुछ कर्मचारियों को शामिल किया, अपितु किसी न किसी बहाने से अन्य कर्मचारियों से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।अभी भी परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेकर एक गुंजाइश है।

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

5. राज्यों और निगमों दोनों ने "आदर्श नियोक्ता" की अवधारणा का आसानी से बहिष्कार किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने जिम्मेदारी से दूर और ऐसी स्थिति में अपनी भूमिका से बेखबर बिना किसी दृष्टि के अपार शांति के साथ ऐसा किया है । उनका कार्य भावहीनता, असंवेदनशीलता की प्रवृत्ति और क्रूर असंवेदनशीलता के साथ विचलन के दृष्टिकोण को दर्शाता है। न तो राज्यों और न ही निगमों ने कर्मचारियों की आजीविका के बारे में एक पल के लिए भी सोचा है। वे उस स्थिति के लिए पूरी तरह से अलग रहे हैं जिसमें कर्मचारियों को प्रेरित किया गया है। सुशासन की स्थिति में सरकार विदेशी की तरह काम नहीं कर सकती। इसकी सक्रिय भूमिका है। इसको एक रचनात्मक और प्रगतिशील दृष्टि होनी चाहिए।

6. याचिका कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत कर्मचारियों के लिए यह विकल्प खुला है, यह स्वीकार्य नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उस दुर्दशा को ध्यान में रखा जाए जिसमें कर्मचारियों को रखा गया है। इस न्यायालय ने पहले अवसर पर यह भी स्पष्ट किया था कि यह एक अलग स्थिति है और यह कानून निर्धारित नहीं कर रहा है कि हर मामले में राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए आगे आना चाहिए। यह मानवाधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के उद्देश्य को प्रभावित करने वाली बड़ी समस्या है। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त या हटा दिया गया है या यहां तक कि कोई निर्णय नहीं है कि पदों को समाप्त कर दिया गया है।

7. यह ऐसा मामला नहीं है जहां न्यायालय राहत को केवल उत्तरदाताओं तक ही सीमित रखेगा। इससे पहले इस न्यायालय ने एक समिति का गठन किया था और बिहार राज्य ने सभी निगमों के लिए पचास करोड़ रुपये जमा किए थे और भालको में काम करने वाले कर्मचारियों, जिन्हें 1995 से वेतन नहीं दिया गया था, उन्हें आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाता था। उनका पहचान ज्ञात है।

जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, उनके कानूनी प्रतिनिधियों की आसानी से पहचान की जा सकती है। अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति अपना बकाया पाने के लिए प्रयोग करने वाले राज्यों के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता है। यह संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य है कि सभी को उनके बकाया का भुगतान किया जाए जैसा कि यह न्यायालय उचित समझे।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और संविधान के तहत सामाजिक न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, एक कल्याणकारी राज्य में एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका और दोनों राज्यों के आचरण को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय निर्देश देता है कि (i) जिन कर्मचारियों को इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य द्वारा पचास करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिए जाने के बाद निश्चित राशि का भुगतान किया गया था और जिन्हें झाल्को द्वारा अवशोषित नहीं किया गया है, उन्हें 1.1.1995 से 29.12.2001 तक अपना वेतन दिया जाना चाहिए। (ii) झारखंड राज्य को 29.12.2001 से 13.9.2004 तक भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

झारखंड राज्य के लिए कट- ऑफ तिथि तय की गई है क्योंकि इसने 29.12.2001 को अधिसूचना जारी की थी जिससे गलत धारणा और भ्रम पैदा हुआ था। बिहार राज्य के लिए तिथि निर्धारित की गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को परिसमापन के लिए कहने का निर्णय लिया था। (iii) बिहार राज्य को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर पहले से ही भुगतान की गई राशि में कटौती करने का भी निर्देश दिया गया है। हालांकि, झारखंड राज्य इस न्यायालय द्वारा निर्देशित अवधि के लिए वेतन की पूरी राशि का भुगतान करेगा क्योंकि उसने कर्मचारियों को कुछ भी भुगतान नहीं किया है। (iv) दोनों राज्य वेतन संशोधन का लाभ देने के बाद वेतन घटक की गणना करेंगे जो अन्य कर्मचारियों को दिया गया है। (v) भुगतान किए जाने के लिए निर्देशित राशि, का भुगतान प्रति वर्ष 7.5% सरल ब्याज के साथ किया जाएगा। अवशोषण का दावा बंद है।

सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ (1981) 1 एससीसी 449: 1981 (2) एससीआर 111; गुरमैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य. (1991) 1 एस. सी. सी. 189:1990 (2) अनुपूरक. एससीआर 367; बैराम गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य ।

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

1987 (पूरक) एससी 228:1987 एससीआर 1173; हरियाणा राज्य बनाम प्यारा सिंह (1992) 4 एससीसी 118:1992 (3) एससीआर 826; भूपेंद्र नाथ हजारिका और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य. (2013) 2 एससीसी 516:2012 (12) एससीआर 587- पर अधारित।

कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य (2003) 6 एससीसी 1:2003 (11) पूरक. एससीआर 175; कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य (2005) 2 एस. सी. सी. 262:2005 (1) एस. सी. आर. 456; कपिला हिंगोरानी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य । (2008) 17 एससीसी 394:2008 (10) एससीआर 195- संदर्भित।

कानून मामला संदर्भः

1980 (2) एस. सी. आर. 831	पैरा 4	पर निर्भर
1995(6) पूरक एस. सी. आर. 827	पैरा (5)	पर निर्भर
1994(6) पूरक एस. सी. आर. 828	पैरा (5)	पर निर्भर
1964 एस. सी. आर. 724	पैरा 6	पर निर्भर
1959 एस. सी. आर. 895	पैरा 9	पर निर्भर
1973 (1) एस. सी. आर. 161	पैरा 10	पर निर्भर
1982 एस. सी. आर. 365	पैरा 11	पर निर्भर
2000 (4) पूरक 550	पैरा 12	पर निर्भर
2010 (1) एससीआर 591	पैरा 13	पर निर्भर
1983 (2) एस. सी. आर. 165	पैरा	पर निर्भर
2000(3) एस. सी. आर 1053	पैरा 15.	पर निर्भर
2003 (11) पूरक एस. सी. आर. 175	पैरा 18	पर निर्भर
2005 (1) एस. सी. आर. 456	पैरा 22	पर निर्भर
2008 (10) एस. सी. आर. 195	पैरा 23	पर निर्भर
1981 (2) एस. सी. आर. 111	पैरा 45	पर निर्भर

1990 (2) पूरक एससीआर 367	पैरा 46	पर निर्भर
1987 एससीआर 1173	पैरा 47	पर निर्भर
1992 (3) एससीआर 826	पैरा 48	पर निर्भर
2012 (12) एससीआर 587	पैरा 49	पर निर्भर

सिविल अपील अधिकार-क्षेत्र : सिविल अपील संख्या 2013 का 10515.

एलपीए में रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.06.2011 से नं. 2009 का 77.

के साथ

सीए नं. 2013 का 10516, 10517-18 और 10519-20.

रंजीत कुमार, तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद वकास, कुमार अनुराग सिंह, राजीव शंकर द्विवेदी, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चंदन कुमार, प्रिया हिंगोरानी (हिंगोरानी एंड एसोसिएट्स के लिए) उपस्थित पार्टी के लिए।

न्यायालय का निर्णय

दीपक मिश्रा, जे. 1. इन सभी विशेष अवकाश याचिकाओं में अनुमति दी गई है।

अनिवार्य प्रस्तावना:

2. एक संवैधानिक अदालत ऐसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करती है जब संवैधानिक कैनवास पर बड़ी मात्रा में चित्रित मानवीय समस्या को तीव्र ईमानदारी के साथ पेश किया जाता है, संभवतः दर्द को महसूस करना "मानव जाति के संप्रभु स्वामी" में से एक है। अनिवार्य प्रस्तावना अदालत को कानून में कैसे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है, जब श्रमिकों को ऐसी स्थिति पैदा होने के कारण अपनेपन की भावना की भारी दुर्दशा से जूझना पड़ता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे न तो यहां हैं और न ही वहां हैं।हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली एक असहनीय त्रासदी के रूप में मानते हैं, जो इस न्यायालय का गंभीर ध्यान आकर्षित करता है।

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

[दीपक मिश्रा, जे.]

कर्मचारियों ने भूख के कारण अपनी अंतिम सांस ली है, लगातार एक तनाव भूख की तीव्र मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, और त्रुटिहीनता जो उन्हें समय पर उपचार प्राप्त करने में बाधा डालती है, और कुछ परिवारों को बिना किसी भोजन के, बिना कपड़ों के और बिना वास्तविक आश्रय के, अवांछित रूप से जीवित रहने की स्थिति- एक पशु अस्तित्व- की ओर प्रेरित करती है। यह मानव नियंत्रण से परे किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं है, बल्कि क्योंकि दो राज्यों, झारखंड राज्य और बिहार ने जानबूझकर कुछ वर्षों तक काम का लाभ उठाने के बावजूद भुगतान करने की जिम्मेदारी को छोड़ने के अपने कार्य द्वारा एक सदाबहार तबाही पैदा करने का विकल्प चुना है और उसके बाद उन्हें अस्वीकार कर दिया है और लापरवाही से दूसरे के कंधे पर बोझ डाल दिया है और अंततः कोरस में तर्क दिया है कि झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन (झाल्को) और बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन (भाल्को) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं, पीड़ित कर्मचारियों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों के लिए यह खुला है कि वे अपना बकाया प्राप्त करने के लिए आवश्यक समापन कार्यवाही शुरू करें। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि दोनों राज्यों द्वारा इतने चतुराई से सामने रखा गया रुख उनकी संवैधानिक जवाबदेही और वैधानिक जवाबदेहता से कटा हुआ है। एक प्रकार से, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपजाऊ मन में पोषित किसी प्रकार के अमूर्त और अथाह विचार से प्रेरित है जो असहाय लोगों को निराशा की स्थिति में रखना पसंद करता है जहां आशा एक अनौपचारिक मृत्यु मर जाती है या वह "त्रिशंकु" की स्थिति में रहती है। यह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक रूप से दुखद स्थिति को दर्शाता है जो तत्काल शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप का आदेश देता है ताकि चोट घातक न हो।

3. इससे पहले कि हम तथ्यों को उजागर करने के लिए आगे बढ़ें, हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करता है।

4. जगदीश सरन (डॉ) बनाम भारत संघ, में यह निम्नानुसार कहा गया है:-" संवैधानिक कानून, एक सर्वशक्तिमान अमूर्त नहीं है।

एक या दूर का आदर्शीकरण लेकिन एक सैद्धांतिक, फिर भी व्यावहारिक, मूल्यों से भरा और परिणाम- उन्मुख, प्रस्तावों का एक समूह जो राष्ट्र के सामाजिक विकास के एक ठोस चरण और लोगों की आकांक्षी अनिवार्यताओं पर लागू होता है। इंडिया टुडे- यह हमारे संवैधानिक कानून और जीवन का प्रमुख आधार है।

5. चमेली सिंह और अन्य बनाम यू.पी. राज्य और अन्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1966 के अनुच्छेद 11 (1) का उल्लेख करने के बाद, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कन्वेंशन के राज्य पक्ष के "प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए भोजन" का पर्याप्त अधिकार है। कपड़े, आवास और रहने की स्थिति में निरंतर सुधार सहित जीवन स्तर" को मान्यता दी गई है, अदालत ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि उक्त अधिकार प्राप्त हो।

6. पी. जी. गुप्ता बनाम गुजरात राज्य और अन्य में यह मत व्यक्त किया गया है कि भारत के लोगों ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हुए इसे समानता और संयुक्त और एकीकृत भारत में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देने के अवसर के अधीन कर दिया है। अनुच्छेद 37 का संदर्भ दिया गया था जो देश के शासन में भाग IV या मौलिक कानून में अधिकारों की घोषणा करता है और अनुच्छेद 39 (बी) का भी, जो यह आदेश देता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण कमजोर वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

7. डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ, 4 अदालत ने कहा कि समाजवाद का मूल ढांचा लोगों को जीवन का उचित मानक प्रदान करना है, विशेष रूप से, पालना से कब्र तक सुरक्षा। एक जीवंत, स्पंदनशील पर जोर दिया गया है।

समाजवादी कल्याणकारी समाज और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य का क्या कर्तव्य है।

8. जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी बनाम लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा, अधर्म या पंडिताई पूर्ण नहीं है, और यह केवल औद्योगिक निर्णय तक ही सीमित नहीं है। यह व्यापक है। यह सामाजिक- आर्थिक लाभ के मूल आदर्श पर आधारित है और इसके उद्देश्य को समाप्त किया जाना है।

9. *मैसूर राज्य बनाम सोने की खानों के श्रमिक* में न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त कियाः

"10. सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा क्रांतिकारी महत्व की एक जीवित अवधारणा है; यह कानून के शासन को पोषण और कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अर्थ और महत्व देती है।

,

10. *वाई ए ममार्दे बनाम प्राधिकरण में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम* के तहत न्यायालय ने कहा कि हमारे वर्तमान संविधान के तहत राज्य को अब स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वह सभी श्रमिकों (चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य) के लिए न केवल शारीरिक निर्वाह बल्कि जीवन निर्वाह मजदूरी और काम की शर्तों को सुनिश्चित करने का प्रयास करे जो जीवन के एक सभ्य मानक और अवकाश का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करे। राज्य नीति का यह निर्देशक सिद्धांत समग्र रूप से राष्ट्र के सामान्य हित के लिए अनुकूल होने के कारण, केवल उचित सामाजिक संरचना की नींव रखता है जिसमें श्रम को राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि की प्रगति में अपने योगदान के बदले वैध रूप से इसके कारण गरिमा का स्थान मिलेगा।

11. एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ में इस न्यायालय ने नीचे के रूप में अभिभाषण दियाः-

---

5. ए. आई. आर 1964 एससी 737

6. ए. आई. आर 1958 एस. सी. 923

7. (1972) 2 सेक एस. सी. सी. 108

8. (1981) अंतिम एस. सी. सी. 87

न्यायपालिका के पास इसलिए एक सामाजिक- आर्थिक गंतव्य और एक रचनात्मक कार्य है। इसे सामाजिक- आर्थिक क्रांति का एक अंग बनने और आम आदमी की पहुंच के भीतर सामाजिक न्याय लाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ग्लेनविल ऑस्टिन के शब्दों का उपयोग करना होगा। . यह केवल एक अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए संतुष्ट नहीं रह सकता है, लेकिन इसे सामाजिक- आर्थिक न्याय के लक्ष्य में कार्यात्मक रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

[जोर दिया गया]

12. रेमन सर्विसेज (पी.) लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर, आर.पी जे. सेठी ने इस प्रकार कहाः-

"21 आजादी के बाद सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी कानूनी प्रणाली का हिस्सा बन गई है। यह अवधारणा जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों और जीवन को गतिशील बनाने के लिए अर्थ और महत्व देती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तब तक गुमनामी में रहेगी जब तक कि सामाजिक न्याय नहीं दिया जाता। सामाजिक न्याय का वितरण और संविधान में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए सक्रिय, ठोस और गतिशील प्रयासों के बिना संभव नहीं है।

13. हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य भंडारण निगम 10 सिंघवी में, न्यायमूर्ति सिंघवी ने इस प्रकार राय दीः-

"इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आजीविका से वंचित है, तो वह अपने सभी मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित है और उसके लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, स्थिति और अवसर की समानता का लक्ष्य, संविधान में निहित स्वतंत्रताएं भ्रामक बनी हुई हैं।

इसलिए, न्यायालयों का दृष्टिकोण उस संवैधानिक दर्शन के अनुरूप होना चाहिए जिसका निर्देश राज्य नीति के सिद्धांत एक अभिन्न अंग हैं

---

9. (2001) 1 एस सी सी 118 है।

10. सी (2010) 3 एस सी सी 192.

और नियोक्ता- सार्वजनिक या निजी द्वारा सामने रखे गए विशिष्ट और असमर्थनीय आधारों पर विचार करके कामगार को न्याय से वंचित भी नहीं किया जाना चाहिए।

14. हमने सामाजिक न्याय, जीवन की गरिमा और न्यायपालिका की भूमिका की अवधारणा को उजागर करने के लिए उपरोक्त अधिकारियों का उल्लेख किया है। अदालत संवैधानिक ढांचे के भीतर जवाब देने के लिए बाध्य है। इस संदर्भ में संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तावना में "न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक" बात करते हुए "सामाजिक न्याय" शब्दों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, सामाजिक पहलू और आर्थिक पहलू कल्याणकारी राज्य का आदर्श लक्ष्य है। संविधान सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य पर एक जिम्मेदारी डालता है, क्योंकि प्रस्तावना एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए राज्य द्वारा राजी किए जाने के मार्ग को रोशन करने वाली खोज-दीप है। (देखें डी एस नकारा (ऊपर)

15. यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि हमारे संविधान में निहित दर्शन राज्य द्वारा विचलन का मार्ग प्रशस्त करने से प्रभावित न हो। संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर नियोक्ता का सामाजिक और आर्थिक न्याय के पवित्र उद्देश्यों के संदर्भ में कार्य करने का एक पवित्र कर्तव्य है।

इस विषय-वस्तु में, हम फलदायी रूप से बलबीर कौर और एक अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य के एक अंश को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:-

- "सामाजिक न्याय की अवधारणा न्याय प्रशासन प्रणाली या कानूनी न्याय के लिए मापदंड है और जैसा कि रोस्को पाउंड ने बताया कि कानून का सबसे बड़ा गुण इसमें है- अनुकूलनशीलता और लचीलापन और इस प्रकार यह कानून अदालतों के लिए भी एक दायित्व होगा कि वे स्थिति के आधार पर कानून को लागू करें क्योंकि कानून समाज के लिए बनाया गया है और जो कुछ भी समाज के लिए फायदेमंद है,

---

11. (2000) 6 एस सी सी 493. .

विधि न्यायालय का एक प्रयास होगा कि उस दिशा में उचित सम्मान रखते हुए न्याय दिया जाए।

सूचीकरण का क्रमिक इतिहास

16. केवल इतिहास का उल्लेख करने के बजाय, हमने जानबूझकर चेकर इतिहास का उल्लेख किया है क्योंकि हमें यह कहने में पीड़ा हो रही है कि इस न्यायालय ने पहले कई अवसरों पर कई संदर्भों में इस मामले पर विचार किया है और उसके बाद इसे निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है।

इससे पहले कि हम पहले के निर्णयों का कालानुक्रमिक रूप से उल्लेख करें, यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि जिन तथ्यों को सामने लाया गया है, वे न केवल परेशान करने वाले हैं, बल्कि इस परिदृश्य को भी दर्शाते हैं कि कैसे दोनों राज्यों द्वारा पीड़ा, तनाव और भुखमरी का एक पिरामिड बनाया जा सकता है, जैसे कि वे त्रुटियों का एक अभयारण्य बनाने में प्रभावी ढंग से सफलता प्राप्त करने के लिए एक- दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दृढ़ हैं।

17. बिहार राज्य द्वारा बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक सरकारी कंपनी बनाई गई और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कराया गया।

उस कंपनी का उद्देश्य छोटानागपुर और संथाल परगना के पहाड़ी क्षेत्रों और रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, गया, भागलपुर (गंगा के दक्षिण) और मोंघिर (गंगा के दक्षिण) जैसे अन्य क्षेत्रों में किसानों को नियमित सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संसाधनों का पता लगाना, निष्पादन, स्थापना, विकास, सुधार, स्थापना, वित्त, प्रबंधन, प्रशासन और रखरखाव करना था। जैसा कि कंपनी का उद्देश्य प्रोजेक्ट करना था, इसे जनहित में और सिंचाई के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए और वह भी बिहार राज्य के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में लागू किया गया ।

18. जैसे ही घटनाएँ सामने आईं, बिहार राज्य में कई सरकारी निगम और कंपनियां कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही थीं और पूरी बात पूरी तरह से अराजकता में थी। एक वैधानिक निगम के एक कर्मचारी ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और अंततः उसने दम तोड़ दिया। उस स्तर पर एक जन उत्साही व्यक्ति, कपिला हिंगोरानी ने इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें जोर देकर कहा गया कि बिहार राज्य में स्थित विभिन्न सरकारी कंपनियों/ सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने कामगारों और अन्य कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया है। कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य 12 के मामले पर विचार करने वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण विवाद को इस प्रकार प्रस्तुत कियाः- "क्या राज्य के स्वामित्व वाले निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के वेतन के बकाया के भुगतान के लिए बिहार राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से किस हद तक उत्तरदायी है, इस रिट याचिका में शामिल मुख्य प्रश्न है।

19. यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय को 12.3.2003 को एक सूची प्रदान की गई थी और एस. आई. में भाल्को का नाम अंकित किया गया था। न्यायालय ने सूची को विस्तार से संबोधित किया और राज्य में निराशाजनक वातावरण पर ध्यान दिया, क्योंकि मौतें भुखमरी या कुपोषण के कारण हुई थीं और यह तथ्य सामने आया कि कर्मचारियों को लंबे समय से और कुछ मामलों में एक दशक या उससे अधिक समय से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, जैसा कि स्वीकार किया गया है। बिहार राज्य द्वारा यह रुख अपनाया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश उपक्रम कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत या निगमित कंपनियां हैं, शेयरधारकों के अधिकार और देनदारियां उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी और उक्त कंपनियों की देनदारियों को " उठाने" के सिद्धांत का सहारा लेकर राज्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

एक और तर्क दिया गया था कि समस्या के परिमाण को ध्यान में रखते हुए यह न्यायसंगत और उचित होगा यदि निर्देशित देनदारियों को भारत संघ द्वारा 80% और राज्य सरकार द्वारा 10% और शेष संबंधित कंपनियों से संबंधित संपत्तियों की बिक्री से पूरा किया जाता है। जन-उत्साही व्यक्ति, कपिला हिंगोरानी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तर्क दिया कि राज्य अपने स्वयं के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के मामले में अपने दायित्व से नहीं बच सकता है, हालांकि जाहिर तौर पर वे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनियों में काम कर रहे हैं।

कोर्ट ने कई प्राधिकरणों का उल्लेख किया और यह अभिनिर्धारित किया कि सरकारी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम "राज्य" होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सभी व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए संवैधानिक रूप से उत्तरदायी होंगे और इसलिए, उन्हें अपने स्वयं के कर्मचारियों के मामलों में ऐसा करना चाहिए। आगे यह राय दी गई कि बिहार राज्य की सरकार सभी उद्देश्यों के लिए शेयर धारक है, हालांकि कानून में, कंपनी के देनदारों के प्रति इसका दायित्व उसके द्वारा रखे गए शेयरों तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन सरकारी कंपनियों पर इसके गहरे और व्यापक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकारों और नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में, राज्य का यह देखना भी एकअतिरिक्त कर्तव्य है कि ऐसे निगमों के कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। विद्वान न्यायाधीशों ने आगे कहा कि गहरे और व्यापक नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार के बदले में बिहार सरकार को यह देखने के लिए उत्तरदायी बनाएगा कि कर्मचारियों के संबंध में जीवन और स्वतंत्रता पूरी तरह से सुरक्षित है। बिहार राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व था कि वह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों/ निगमों के कर्मचारियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे जो भारत के नागरिक हैं। कंपनी के मामलों पर व्यापक पर्यवेक्षण के अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए इसका एक अतिरिक्त दायित्व था।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य को पर्यवेक्षण और/ या गहन और व्यापक नियंत्रण के अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे राज्य सरकार के उपक्रमों के मामलों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं था और/ या यह अंधेरे में रखा गया था कि उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।

बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा वर्षों तक भुखमरी से मृत्यु और/ या आत्महत्या के लिए भुगतान किया गया। इसमें यह निर्णय दिया गया है कि जवाबदेही की अवधारणा एक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति से उत्पन्न होती है। इसके अलावा, इस प्रकृति के मामले में राज्य की ओर से विफलता को इस कोना से भी देखा जाना चाहिए कि वैधानिक प्राधिकरण विफल रहे थे और/ या इस संबंध में अधिनियमित सामाजिक- कल्याण कानूनों को लागू करने के लिए उपेक्षा की थी। मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि भारत के संविधान के भाग IV में यथा संवर्धित ऐसी कल्याणकारी गतिविधियाँ निर्विवाद रूप से एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य और उसके वैधानिक प्राधिकरणों पर उन सभी कार्यों को करने का कर्तव्य डालती हैं जिन्हें करने के लिए वे वैधानिक रूप से बाध्य हैं।

20. इसके बाद न्यायालय ने मानवाधिकारों की अवधारणा, संवैधानिक न्यायालय के कर्तव्य, वित्तीय कठोरता और अन्य पहलुओं की ओर रुख किया और इस प्रकार व्यक्त कियाः -

"72. हमारी राय है कि इस प्रकार, राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों की पीड़ा को कम करने के लिए खुद को उत्तरदायी बनाया है।

74. तथापि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि हम एक कानून बनाने का इरादा नहीं रखते हैं, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, कि राज्य सभी स्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन/ पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। हम, जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है, केवल यह कहते हैं कि राज्य अपने दायित्व से तब नहीं बच सकता है जब इतने लंबे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने के कारण कर्मचारियों द्वारा भुखमरी से होने वाली मौतों और/ या आत्महत्या से जुड़ी इतनी बड़ी मानवाधिकार समस्या हो।

हम झारखंड राज्य के खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 65 के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया था और इसके अलावा केवल

सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों को झारखंड राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की है।

21. न्याय के हित में परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए, जिनका एक भाग उच्च न्यायालय में लंबित परिसमापन कार्यवाहियों, कंपनियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन और समय-समय पर निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। दिशा-निर्देश जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं-

4. राज्य वर्तमान में निगमों के कर्मचारियों को वेतन के वितरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगा। 50 करोड़ रुपये की राशि दो किस्तों में जमा की जाएगी। आधी राशि का भुगतान एक महीने के भीतर और शेष राशि का भुगतान उसके बाद एक महीने के भीतर किया जाएगा। उच्च न्यायालय यह देखेगा कि सरकारी कंपनियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों की बिक्री सहित किसी भी स्रोत से इस प्रकार जमा की गई और/ या अन्यथा प्राप्त राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को आनुपातिक रूप से किया जाए, जिसके लिए पक्षकार उसके समक्ष अपने दावे दायर कर सकते हैं।

5. तथापि, उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर कुछ निधियों के वितरण का निर्देश ज़रूरतमंद कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर दे सकता है ताकि वे कुछ समय के लिएअपना भरण-पोषण कर सकें।

6. कामगारों के अधिकारों पर कंपनी अधिनियम की धारा 529- ए के संदर्भ में विचार किया जाएगा।

7. केंद्र सरकार को इसके द्वारा सरकारी कंपनियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

[दीपक मिश्रा, जे.]

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों की शर्तें।

22. उक्त मामले में जैसे कि 7 और 9 दायर किए गए थे, जो 13.1.2005 को कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य में रिपोर्ट किए गए थे। न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 8 के अनुसरण में दिनांक 9.5.2003 के आदेश में उसने 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था और उक्त निर्देश को आगे बढ़ाते हुए बिहार राज्य ने 50 करोड़ रुपये की राशि जमा की थी और पटना में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट जो न्यायालय के समक्ष रखी गई थी, से यह प्रतीत होता है कि अधिकांश उपक्रमों के कर्मचारियों को भुगतान के लिए रुपये 25,98,65,883.00 की राशि की सिफारिश की गई थी। झालको और भालको के साथ काम करते समय कोर्ट ने आई.ए. नं. 7, 2004 को संबोधित किया और संबंधित शपथपत्रों पर ध्यान दिया। उक्त मामले में झाल्को का रुख, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, इस प्रकार हैः-

8. झारखंड राज्य को भी इसमें एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है और इसने एक जवाबी- हलफनामा दायर किया है जिसकी पुष्टि- झाल्को, रांची के प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार वर्मा ने की है, जिसमें एक तर्क उठाया गया है कि भाल्को अभी भी बिहार राज्य के नियंत्रण में है। यह भी पुष्टि की गई है कि भाल्को के स्थान पर 22-3-2002 को झाल्को के नाम से एक नया निगम गठित किया गया था और इसे कंपनियों के रजिस्ट्रार, झारखंड के साथ पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार उक्त झाल्को को एक नया निगम कहा जाता है और इसका भाल्को से कोई लेना-देना नहीं है और किसी भी स्थिति में यह भाल्को का उत्तराधिकारी नहीं है।

न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 65 के तहत निर्णय लिया था। बिहार राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वह कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था।

पहले के आदेश और विभिन्न अन्य प्राधिकरणों के लिए, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-

26. हम बिहार राज्य द्वारा अब लिए गए रुख की सराहना नहीं करते हैं क्योंकि नागरिकों के एक वर्ग के प्रति इसका कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी के प्रति जिन्हें वर्षों से वेतन नहीं दिया गया है।

28. यह वास्तव में खेद का विषय है कि वैधानिक शक्ति के साथ-साथ बिहार राज्य में निहित नियंत्रण की शक्ति या तो कानूनों के तहत या संबंधित सरकारी कंपनियों के अनुच्छेदों और संघ के ज्ञापन के संदर्भ में निहित होने के बावजूद, इसने इसका प्रयोग नहीं किया और अब यह तर्क दिया कि उक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों पर राज्य का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था। बिहार और झारखंड राज्य, निर्विवाद रूप से, अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और इसके निर्वहन में आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं जैसा कि कानून में अनुमत है।

ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने बिहार राज्य और भाल्को के रुख पर विचार करने के लिए आगे बढ़कर निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

33. यह सच है, जैसा कि झारखंड राज्य की ओर से तर्क दिया गया है कि झालको नामक एक नया निगम अस्तित्व में आया है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि झारखंड राज्य ने स्वयं भालको के कर्मचारियों को विकल्प दिया है, उन कर्मचारियों के अवशोषण का आदेश जो रोजगार का विकल्प चुनते हैं, उन्हें जल्द से जल्द और तारीख से छह सप्ताह के बाद पारित किया जा सकता है। संबंधित कर्मचारियों को इस स्तर पर कोई वचन पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रश्न कि क्या झारखंड राज्य भाल्को के कर्मचारियों को कोई वेतन और अन्य परिलब्धियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, एक ऐसा प्रश्न है जो उचित कार्यवाही में निर्णय के लिए आता है।
न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए कहाः –

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

[दीपक मिश्रा, जे।]

"37. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने बिहार और झारखंड राज्यों को उपरोक्त निर्देश इस आधार पर जारी नहीं किए हैं कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनका भुगतान करने के लिए बाध्य हैं, बल्कि इस आधार पर कि कर्मचारियों का मानव अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार भी है, जिसकी रक्षा करने के लिए राज्य बाध्य है। निर्देश, जो इस न्यायालय द्वारा 9 -5 -2003 को जारी किए गए हैं और जो यहां भी जारी किए जारहे हैं, संबंधित कर्मचारियों के मानव और मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने केलिए हैं, न किसी के बकाया के कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के माध्यम से वेतन मिलता है।

संबंधित कर्मचारियों या कामगारों को देय वेतन की राशि पर निस्संदेह उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि, ये निर्देश जारी किए जाते हैं जो उन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। निस्संदेह, इन निर्देशों के अनुसार न्यायमूर्ति उदय सिन्हा समिति द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि को विधिवत रूप से जमा किया जाएगा।

23. उक्त रिट याचिका में आई. ए नं. 2007 का 21 फाइल किया गया था, जिसका निर्णय 8.7.2008 को कपिला हिंगोरानी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 14 के द्वारा किया गया था, जिसमें मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी राज्य/ झालको को दिनांक 13.1.2005 के आदेश का तुरंत अनुपालन करने और 13.1.2005 के आदेश के अनुसरण में विभिन्न तिथियों (आई ए से संलग्न) पर एम डी, झालको द्वारा जारी पत्रों में सूचीबद्ध कर्मचारियों के संबंध में झालको में अवशोषण का आदेश पारित करने का निर्देश जारी करने के लिए थी।

24. याचिका पर विचार करते समय न्यायालय ने मुकदमे के इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित किया, आगे की मृत्यु जो समय के प्रवाह के साथ हुई थी क्योंकि कर्मचारियों ने भुखमरी के कारण आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए आगे बढ़े थे। हम समझते हैं कि उक्त मामले में न्यायालय ने जो कहा था, उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित होगाः-

37. हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने बिहार राज्य को शिक्षा निर्देश जारी नहीं किया है और इस आधार पर झारखंड राज्य को आधार बनाया है। इस आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किया गया है और अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार यह है कि जो राज्य अपनी रक्षा करना चाहता है। दिशानिदेश, जो इस न्यायालय द्वारा 9-5-2003 को भी जारी किया गया था यहाँ जारी किया जा रहा है, मानव के विकास में और संबंधित कर्मचारियों का मूल अधिकार है और न कि उनके आय के क्षेत्रों पर उनका ककर्मचारियों को देय वेतन की राशि या संबंधित कामगारों पर उचित कार्यवाही में निस्संदेह निर्णय लिया जाएगा। ये दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। निस्संदेह, न्यायमूर्ति उदय सिन्हा समिति द्वारा दी गई कोई भी राशि
इन निर्देशों के अनुसार विधिवत रूप से श्रेय दिया जाता है।

23. उक्त रिट याचिका में आई. ए. नं. 2007 का 21 दाखिल किया गया था जिसका निर्णय कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार का राज्य और अन्य के द्वारा 8.7.2008 को लिया गया था, जिसमें प्रमुख मांगी गई राहत प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए थी, राज्य/ झालको दिनांकित आदेश का तुरंत पालन करेगा और झालको के 213 कर्मचारियों के समामेलन का आदेश पारित करेंगा। 13.1. 2005 को झालको में अवशोषण के क्रम में एमडी द्वारा पारित जारी पत्रों में सूचीबद्ध 213 कर्मचारियों के संबंध में, एमडी के अनुसार विभिन्न तिथियों (आईए के साथ संलग्न) पर झालको दिनांक 13.1.2005 का आदेश पर उन कर्मचारियों को छोड़ देता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

24. प्रार्थना पर विचार करते समय न्यायालय ने मुकदमे के इतिहास के बारे में कहा कि, आगे की मृत्यु जो हुई थी वह समय के प्रवाह के साथ हुई थी क्योंकि कर्मचारियों ने भुखमरी के कारण आत्महत्या कर ली थी । उसके बाद विभिन्न पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम आगे बढ़े । हम समझते हैं कि अदालत के पास जो कुछ था उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित है।

उक्त मामले में कहा गया हैः -

(i) यह स्पष्ट है कि आई. ए. नं. 11 पर आदेश पारित करते समय, इस न्यायालय को दो कारकों के बारे में अंधेरे में रखा गया था- पहला, कि विज्ञापन दिनांक 13.1.2005 के आदेश से पहले ही किया जा चुका था और दूसरा, कि दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसरण में कुछ भी नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि 216 कर्मचारियों के नए आवेदन झालको द्वारा स्वीकार किए गए थे और उन्हें ठन्डे में रखा गया था।

(ii) यह याद रखना चाहिए कि यह सब इस न्यायालय के दिनांक 9-5-2003 के आदेश के अनुसार था, जिसमें इस न्यायालय ने बिहार राज्य से निगमों के कर्मचारियों को वेतन के संवितरण के लिए 50 करोड़ रुपये जमा करने की आवश्यकता बताई थी। तदर्थ इस आधार पर धन के संवितरण का भी निर्देश दिया गया था। कोर्ट नेएसोसिएट्स औ र स्टाफ़ की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया था। इसलिए, जब विज्ञापन 7.8.2003 की कट-ऑफ डेट के साथ जारी किए गए थे, तो झालको को फायदा हुआ था। तथापि, इसकी प्रस्तुति के समय इस न्यायालय का दिनांक 13.1.2005 का आदेश आया, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने झालको के देखरेख में एक आदेश लिया और आगे निर्देश दिया कि जिन संबंधित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, उन्हें पिछले नहीं दिये वेतन के लिए वचन देने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 13.1.2005 के आदेश की भाषा से यह प्रतीत होता है कि अवशोषण के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया था। संभवतः इसलिए इस न्यायालय ने ऐसे कर्मचारियों को छह सप्ताह का समय दिया।

(iii) फिर से, पहले के विज्ञापनों की तरह, केवल वेतन पर अपने दावों का उल्लेख करने वाले कर्मचारी ही आवेदन कर सकते थे, सभी कर्मचारियों ने शायद संख्या को केवल 302 तक सीमित करने के लिए आवेदन नहीं किया था।

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

[दीपक मिश्रा, जे।]

दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसार, 216 और कर्मचारियों ने प्रवेश द्वार पर बिना वेतन के दावा के आवेदन किया था। इसकी वजह से बैठक में फैसला लिया गया। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए दिनांक 8.8.2005 को झालको कर्मचारियों की संख्या की कुल संख्या 214 तक सीमित है। अतिरिक्त शपथपत्र का पैरा ए (एफ) देखा जाता है, यह स्पष्ट है कि हालांकि 152 अतिरिक्त वर्ग IV कर्मचारी थे, अभी भी 64 अधिकारी की आवश्यकता थी, क्योंकि 78 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 14 अधिकारी के रूप में लगे हुए थे। कर्मचारियों को कम करने की कवायद और कर्मचारियों की कुल संख्या केवल 214 तक सीमित करने के मद्देनजर एक जानबूझकर अभ्यास प्रतीत होता है ।

इस न्यायालय का दिनांक 13.1.2005 का आदेश परित हुआ, और संयोग से, उस आदेश का पालन नहीं किया गया था । आई. ए. नं. 11. फाइल करने के लिए अगर ठीक से कुल स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध गणना की गई, सच्ची भावना जिसकी अंततः याचिकाकर्ताओं की आवश्यकता थी, पैरा ए (एफ) में दिए गए आंकड़े/ हलफनामे का भ्रामक थे । 214,302 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार केवल 88 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजित कहा जा सकता है और वह भी तारीख के निर्णय 8.8.2005 से पहले. इसलिए अतिरिक्त के रूप में 152 कर्मचारी का आंकड़ा स्पष्ट रूप से गुमराह कर रहे हैं।

(iv) झालको द्वारा कोई भी कार्मिक उपस्थित नहीं होता है और किसी भी कर्मचारी के कटौती को सही ठहराने के लिए आँकड़ा नहीं दिया जाता है, इस बात का झालको द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आख़िरकार, झालको द्वारा कर्मचारियों की कटौती करने का कोई औचित्य नहीं था। और कटौती करने का झालको निर्णय न तो गंभीर, और न ही न्यायोचित दिखाई देता है और न्यायालय का आदेश दिनांक 13.1.2005. की सख्ती से बाहर निकलने के लिए किया गया था। हालाँकि अदालत आवेदक के पक्ष में कोई आदेश जारी करने की स्थिति नहीं है। भले ही उनकी रिक्तियों के संबंध में उनके विवाद स्वीकार किये जाते हैं।

(v) अतिरिक्त हलफनामे में यह दलील दी गई है कि झालको 2005-2006 तक 3.16 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा था। इसका वार्षिक वेतन 3.60 करोड़ रुपये है और इसने वित्त वर्ष 2008- 2009 के लिए भुगतान करने के लिए झारखंड राज्य से पहले ही 2.60 करोड़ रुपये की मांग की है। हालाँकि, हलफनामे में वेतन के बकाया के कारण बिहार राज्य द्वारा किए जाने वाले योगदान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

(vi) बिहार राज्य के उत्तर में, बिहार सरकार के सचिव द्वारा झारखंड सरकार के सचिव को दिनांक 22.1.2001 के पत्र के संदर्भ को छोड़कर, जिसमें सिफारिश की गई थी कि भाल्को के सभी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के झालको में अवशोषित किया जाना चाहिए, इससे अधिक कुछ प्रतीत नहीं होता है। बिहार राज्य की ओर से लिखित प्रस्तुतियों के नाम पर, केवल इतना ही कहा गया है कि चूंकि भाल्को झारखंड राज्य में स्थित एक निगम था और इसका संचालन क्षेत्र भी केवल झारखंड राज्य में था, इसलिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (1) और 56 के तहत, भाल्को अपनी सभी देनदारियों और संपत्तियों के साथ झारखंड सरकार का एक निगम है। बिहार राज्य ने फिर दोहराया है कि केंद्र सरकार का भालको को बिहार राज्य की संपत्ति के रूप में मानने का निर्णय और 13.9.2004 के पत्र द्वारा भालको के परिसमापन के लिए कदम उठाने का निर्देश एक सही निर्णय नहीं है, और उसने इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक पत्र लिखा था।

(vii) बिहार राज्य द्वारा लिया गया रुख नीरस है। किसी भी कोने से देखा जाए तो इस विशिष्ट दलील पर कि भाल्को अब झालको बन गया है बिहार राज्य द्वारा इस देनदारी से मुक्ति के लिए इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता ।

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

[दीपक मिश्रा, जे।

यह इस मुद्दे का अति सरलीकरण होगा। यह इस तथ्य के अलावा है कि भाल्को के संगठन के ज्ञापन में, बिहार के उन छह जिलों का संदर्भ है जो बिहार राज्य में इसके संचालन के क्षेत्र के रूप में बने रहे। इसके अतिरिक्त, दिनांक 13.9.2004 का आदेश जो बिहार राज्य के लिए बाध्यकारी है द्वारा, केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि बिहार राज्य सरकार भाल्को के संबंध में परिसमापन शुरू करेगी। यदि ऐसा है, तो आवश्यक तर्क के अनुसार, वेतन के बकाया का भुगतान करने का दायित्व बिहार राज्य का है, जिसका उसे निर्वहन करना होगा। चूंकि कर्मचारियों द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका लंबित है, जिसका दावा हैः पिछले वेतन के रूप में भी अवशोषण, न्यायालय अंतिम निर्देश देने से बच जाएगा, यह देखते हुए कि यह सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर एक जनहित याचिका थी। बेहतर होगा कि उक्त रिट याचिका में लंबित सभी प्रश्नों का अंतिम निर्णय जल्द से जल्द किया जाए।

25. ऐसा कहने के बाद दो- न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किएः –

"(ए) झारखंड उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह उसके समक्ष लंबित रिट याचिका का जल्द से जल्द और यदि संभव हो, तो तारीख से छह सप्ताह के भीतर निपटान करे। यदि उच्च न्यायालय को उपरोक्त अवधि के भीतर मामले का निपटान करना मुश्किल लगता है, तो वह अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि आवेदक पहले की तारीख से झालको की सेवाओं में शामिल होने के हकदार थे, तो यह उसके लिए ऐसा आदेश पारित करने के लिए खुला होगा जो वह उचित समझे ताकि बीच के इक्विटी को समायोजित किया जा सके।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम अवशोषण, पिछले वेतन और उसी का भुगतान करने के दायित्व का प्रश्न उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

भाल्को के प्रबंध निदेशक और झालको के प्रबंध निदेशक के साथ- साथ बिहार सरकार और झारखंड सरकार के सचिव भी उस तारीख से एक महीने के भीतर बैठक करेंगे और पहले से ही अवशोषित और अवशोषित किए जाने वाले कर्मचारियों को देय वेतन के बकाया के बारे में निर्णय लेंगे और दायित्व का आकलन करेंगे और निर्णय की तारीख से एक सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भुगतान के तरीके आदि के बारे में अंतिम निर्णय कर्मचारियों को लेने के लिए देंगे ताकि यदि कोई हो तो उस सीमा तक झालको की देनदारी कम हो जाए।

(ग) केंद्र सरकार यह देखने के लिए तत्काल कदम उठाएगी कि उसके द्वारा पारित 13- 9- 2004 के आदेश में दिए गए निर्देशों का बिहार राज्य द्वारा अनुपालन किया जाए।

<u>उच्च न्यायालय से पहले की सूची</u>

26. इस न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा किए जाने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की सुनवाई शुरू की और इस न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दा तैयार कियाः-

"क्या बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 65 में निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए भाल्को को केवल नाम में परिवर्तन के साथ ही एक ही इकाई माना जाएगा क्योंकि झाल्को भाल्को से अलग इकाई है?

27. अधिनियम की धारा 65 में प्रयुक्त भाषा और झाल्को द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करते हुए और दिनांक 8.7.2008 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित राय व्यक्त कीः-

"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरंभ से ही निर्णय लिया जाता है कि

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

[दीपक मिश्रा, जे।]

भाल्को की गतिविधियों को बिहार राज्य के क्षेत्र में झाल्को के बदले हुए नाम से जारी रखने की अनुमति देने के लिए लिया गया था, कर्मचारियों के अधिशेष होने के बारे में ऐसा कोई संकेत कभी नहीं दिया गया था। इसके अलावा, झालको द्वारा जारी विज्ञापनों से भी संकेत मिलता है कि उन सभी इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे जो झालको की सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं। उस समय भी कर्मचारियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, मैं भी उसी विचार को स्वीकार करता हूं जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 152 के आंकड़े को देखते हुए व्यक्त किया गया है क्योंकि अतिरिक्त कर्मचारी स्पष्ट रूप से भ्रामक हैं। झाल्को के कर्मचारियों की कटौती को सही ठहराने के लिए कोई स्पष्टीकरण या कोई आंकड़े नहीं दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि इस तरह की याचिका अदालत के दिनांक 13.1.2005 के आदेश की कठोरता को बाहर निकलने के लिए ली गई है।

"इस प्रकार, ऊपर जिन कारणों पर चर्चा की गई है, उनके लिए भाल्को और झालको को दो अलग-अलग निकाय नहीं कहा जा सकता है, बल्कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 65 के संदर्भ में भाल्को को झालको के रूप में कार्य कर रहा है।

इसलिए, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता 13.1.2005 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में अपने अवशोषण के लिए आवेदन करने की तारीख से झालको की सेवाओं में अवशोषित होने के हकदार हैं । वे अपने अवशोषण की तारीख से अपने वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि अन्य कर्मचारी के रूप में झालको द्वारा भुगतान किया जाना है- जिनके सेवा को झालको द्वारा स्वीकार किया गया था, उन्हें भी शामिल होने की तारीख से भुगतान किया जाता है।

28. उपरोक्त निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होने के कारण झारखंड राज्य और उसके पदाधिकारियों ने एल. पी. ए. नं. 2009 का 77 और झाल्को ने एल. पी. ए. नं. 2009 का 79

पसंद किया। डिवीजन बेंच ने घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक रूप से बताने और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, विचार के लिए तीन प्रश्न प्रस्तुत किएः –

(1) क्या भाल्को 2000 के अधिनियम के प्रवर्तन द्वारा झारखंड राज्य में निहित है ?

(2) क्या भाल्को और झाल्को दो अलग-अलग इकाइयाँ हैं या एक ही हैं ?

(3) यदि ऐसा नहीं है जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है, तो क्या याचिकाकर्ताओं को भाल्को के कर्मचारी होने के नाते झाल्को में समावेशन की मांग करने का कोई अधिकार है?

29. पहले मुद्दे पर विचार करते हुए डिवीजन बेंच ने अधिनियम की धारा 47, 65 और 85 को संदर्भित किया और डब्ल्यू.पी. में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.9.2004 के आदेश पर ध्यान दिया। 2002 के 488 में यह अभिनिर्धारित किया गया । विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा इस आशय का निष्कर्ष निकाला गया कि भाल्को और झाल्को को दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। तत्पश्चात, खण्डपीठ ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों को निर्दिष्ट किया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारियों को उनकी कोई गलती नहीं होने के कारण पीड़ित किया गया था और जब न्यायालय द्वारा मामले का विनिश्चय किया गया तो 11 वर्षों के लिए वेतन से वंचित किया गया था, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि नियोक्ता और नियोक्ता के बीच संबंध किसी कार्यवाही या विधि के संचालन से विलुप्त नहीं हुआ था। इसके बाद इस प्रकार निर्देश दियाः-

"इसलिए, कर्मचारियों के दावे में कानूनी आधार के साथ इस न्यायसंगत आधार को भी ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि भालको उन कर्मचारियों को वेतन के और इस अवधि के दौरान मरने वाले मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को भी सभी बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें अभी तक झालको द्वारा अवशोषित नहीं किया गया है ।

30. इसके बाद, डिवीजन बेंच ने

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव
[दीपक मिश्रा, जे.]

अदालत की अपील के अवशोषण के संबंध में मुद्दे को संबोधित किया और राय दी कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि प्रतिवादी कर्मचारियों को झाल्को द्वारा गैर- अवशोषण का सामना करना पड़े और तदनुसार, निम्नानुसार निर्देश दिया गयाः-

"36. हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी विचारशील राय रखते हैं कि ये कर्मचारी भालको में सेवा में बने रहे, भालको द्वारा कर्मचारियों को तब तक वेतन का भुगतान किया जाए जब तक कि वे झालको में अवशोषित या अवशोषित नहीं हो जाते और उसके बाद झालको उन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करेगा। हालांकि, झालको इस न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के आधार पर अवशोषित कर्मचारियों के रुख से निपटने के लिए एक नीतिगत निर्णय ले सकता है कि क्या उन्हें हटा दिया जाना है। यदि छंटनी की जाती है, तो यह पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करके किया जा सकता है और यह निर्णय प्रबंधन द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से लिया जाना है, और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और हमारे अवलोकन के बिना किसी उचित कारण के उन कर्मचारियों को हटाने के लिए झालको को निर्देश या लाइसेंस के रूप में नहीं माना जा सकता है।

37. चूंकि यह कर्मचारियों को अवशोषित करने के लिए झालको का प्रस्ताव था, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि झालको इस न्यायालय के आदेश की तारीख से अब तक कर्मचारियों को अवशोषित करेगा, यानी आज 16 जून, 2011 को और उन्हें भालको में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के लाभों के हकदार कर्मचारियों के साथ झालको में अवशोषित माना जाएगा। लेकिन बिहार राज्य और भालको को निर्देश दिया गया है कि वे आज से तीन महीने की अवधि के भीतर इस तारीख के आदेश तक पूर्ववर्ती भालको के कर्मचारियों को वेतन और अन्य सेवा लाभों के बकाया का भुगतान करें और इन याचिकाकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों के शामिल होने की तारीख से वेतन का भुगतान करने का दायित्व झालको का होगा, हालांकि, यदि वे इस आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर झालको से संपर्क करते हैं।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि ब्याज के पुरस्कार के लिए अनुरोध उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। डिवीजन बेंच द्वारा उपरोक्त निर्णय और आदेश पर झारखंड राज्य, बिहार राज्य, झाल्को और भाल्को द्वारा हमला किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाल्को द्वारा दायर दो समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, जिसे अस्वीकार करने के उक्त आदेशों पर आरोप लगाते हुए विशेष अनुमति द्वारा दो अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

<u>प्रस्तुतियाँ</u>

32. हमने श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील, और श्री गोपाल सिंह, विद्वान वकील, बिहार राज्य और भाल्को के लिए, श्री अमरेंद्र सरन, विद्वान वरिष्ठ वकील, झारखंड राज्य और झाल्को के लिए और सुश्री प्रिया हिंगोरानी, सभी अपीलों में प्रतिवादी- श्रमिकों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

33. बिहार राज्य की ओर से श्री रंजीत कुमार और श्री गोपाल सिंह ने निम्नलिखित विवाद उठाए हैं:-

(क) उच्च न्यायालय ने झारखंड के क्षेत्र और बैंक खातों, सावधि जमा, कार्यालय, प्रशिक्षित कर्मचारियों, सिंचाई उपकरणों, विशाल मशीनरी और अन्य उपकरणों सहित सभी परिसंपत्तियों के संवर्धन के लिए बिहार राज्य पर दायित्व अधिरोपित करने में स्पष्ट रूप से गलती की है और अब दायित्व बिहार राज्य पर अधिरोपित करने की मांग की जाती है। यह तथ्यात्मक स्थिति अधिनियम की धारा 47 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो जाती है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा बिहार राज्य के किसी भी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से संबंधित परिसंपत्तियां और देनदारियां उस राज्य में चली जाएंगी जिसमें उपक्रम स्थित है।

(ख) पूर्ववर्ती भाल्को की परिसंपत्तियों और देनदारियों का झाल्को और झारखंड राज्य द्वारा उनके सचेत निर्णय द्वारा विलय/ अधिग्रहण किया गया है। संचालन के क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, कार्यालय रिकॉर्ड/ फाइलों को झालको और झारखंड बनाम हरिहर यादव में मिला दिया गया है।

झारखंड राज्य बनाम हरिहर यादव

[दीपक मिश्रा, जे]

भाल्को का मुख्य कार्यालय रांची, झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य द्वारा दिनांक 29.12.2001 को जारी अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि भालको का मुख्य कार्यालय जिसे झालको के रूप में बदल दिया गया है, पहले की तरह रांची में होगा और इन परिस्थितियों में बिहार राज्य पर देयता को शामिल करने के लिए न तो न्यायसंगत है और न ही उचित है।

(ग) झारखंड राज्य ने भालको के 300 कर्मचारियों को झालको में शामिल करने के लिए मनमाने ढंग से स्वीकार किया है, यह सुनिश्चित किए बिना कि निर्णय लेने के समय भालको में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और इसलिए, दायित्वों को पूरा करना भालको का कर्तव्य है।

(घ) किसी भी मामले में, यदि कर्मचारियों को वेतन और सेवा शर्तों के गैर- भुगतान के संबंध में कोई शिकायत है, जिसमें अवशोषण भी शामिल है, तो वे कंपनी अधिनियम, 1956 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्रदान किए गए वैधानिक उपायों का सहारा ले सकते हैं।

34. झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सरन और श्री तपस कुमार सेन ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं:-

(i) उच्च न्यायालय इस बात की सराहना न करके गंभीर त्रुटि में पड़ गया है कि झाल्को ने केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर भाल्को के कर्मचारियों को लेने के लिए विभिन्न विज्ञापन जारी किए थे और झाल्को में भाल्को के सभी कर्मचारियों को शामिल करने का कोई बिना शर्त प्रस्ताव नहीं था।

झाल्को एक वाणिज्यिक संगठन है और उसे अपने संसाधनों से अपने स्थापना व्यय की व्यवस्था करनी होती है और जब यह घाटे में चल रहा होता है तो उच्च न्यायालय द्वारा झाल्को को उन कर्मचारी को वेतन लेने और भुगतान करने का आदेश देना अनुचित था।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देकर आगे अवैधता की कि निगमित कर्मचारी लाभ के हकदार होंगे। कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा का भाल्को के पाँच उत्तरदाताओं/ कर्मचारियों ने संपर्क किया था, न्यायालय और यदि कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह होना चाहिए उनके लिए आदेश सीमित है और वहाँ एक सामान्य नहीं होना चाहिए, और जब आई. ए. नं. 2012 का 3 के लिए अभियोग 29.8.2013 को खारिज कर दिया गया है, वापस ले लिया गया ।

(iv) झाल्को या भाल्को के पास कर्मचारियों के बारे में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है
और इसलिए यह पता लगाने के लिए, यह मुश्किल होगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी लाभ का हकदार है ।

35. सुश्री प्रिया हिंगोरानी, विद्वान वकील श्रमिक- उत्तरदाता, उपरोक्त विवाद का विरोध करते हुए अपीलार्थियों के द्वारा आग्रह किया गया है कि उत्तरदाता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने भाल्को में 1995 से वेतन बिना काम किया है, इसके बावजूद भाल्को के 300 कर्मचारी को झालको ने अवशोषित किया।
इस अदालत द्वारा पारित किया आदेशों की संख्या इस मामले में एक लंबा रास्ता तय करेगा। राज्यों और वैधानिक निगम दोनों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता नियोक्ता और कर्मचारी के अस्तित्व के बावजूद अपीलार्थियों का रवैया स्पष्ट रूप से कठोर और असंवेदनशीलता दर्शाता है । उसके द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि केंद्र सरकार ने 65 के तहत देनदारियों का निर्धारण करने वाले अधिनियम की निर्णय लिया है लेकिन ये सामान और सरहनिया नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप लागू किया ऐसा विनाशकारी चरण आ गया है। विद्वान वकील ने कर्मचारियों की पहचान के बारे में उस आधार पर कि कर्मचारियों के नाम उल्लिखित हैं गंभीर रूप से विवाद उत्पन्न किया है; तर्कों के लिखित नोट के साथ संलग्न सूची में न्यायमूर्ति उदय सिन्हा और उनके मूल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जगह प्राप्त हो । उसकी मूल सेवा पुस्तकें उपलब्ध हैं।

36. देय राशि का संकेत देने वाला एक चार्ट जो उत्तरदाताओं और अन्य कर्मचारियों के लिए समान हैं संलग्न किया गया है। हालांकि शुरू में उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने समावेश के लिए दबाव डाला, फिर भी सुनवाई के दौरान उसने स्वीकार किया कि यह न्यायालय राहत को ढाल सकता है और वेतन के भुगतान के संबंध में उचित निर्देश जारी कर सकता है ।

<u>प्रार्थना में आवश्यक दृष्टिकोण</u>

37. हम पहले से ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के लिए विज्ञापित है, उच्च न्यायालय ने इस बारे में संबंधित दलीलों को नोट किया और मुक़दमे की जाँच की, कहानी बताई । तथ्यात्मक खुलासा, जैसा कि स्पष्ट है, एक बहुत ही दुखद परिदृश्य को दर्शाता है। हम इसे दुख की बात कहते हैं क्यूंकि हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि जब किसी राज्य का विभाजन किया जाता है या एक संसदीय विधान द्वारा, दोनों राज्यों और केंद्र अधिनियम के तहत कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है, वे काफी शीघ्रता में लिया जाना चाहिए और गरीब कर्मचारियों को निराश्रित छोड़ना नहीं चाहिए क्यूंकि बिना उनकी गलती के पीड़ित होते हैं।

38. प्रस्तुतिकरण, इतनी दृढ़ता से किया गया है, कि यह कर्मचारियों को कंपनियों के तहत अपना उपाय खोजने के लिए खुला है, कर्मचारियों को कंपनियों के तहत अपना उपाय खोजने के लिए अधिनियम, 1956 या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ और वह दुर्दशा को लेकर जिसमें कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, हमें पूरी तरह से अप्रभावित छोड़ देता है । इस न्यायालय ने पहले के अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि यह एक अलग स्थिति है और यह कानून नहीं बना रहा है कि हर मामले में राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे पहले यह आयोजित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार और जीने का मानव को प्रभावित करने वाली बड़ी मात्रा की समस्या है । इसके अलावा, यह एक मामला नहीं है जहां कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं या उन्हें हटा दिया गया है या यहां तक कि कोई निर्णय नहीं है कि पदों को समाप्त कर दिया गया है।

39. जैसा कि स्पष्ट है, शुरू में झारखंड राज्य ने भाल्को को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया और उसके बाद इसे वापस ले लिया गया।

डिवीजन बेंच ने सही राय दी है कि इस तरह का निर्णय झारखंड राज्य द्वारा एकतरफा रूप से नहीं लिया जा सकता था, लेकिन तथ्य यह है कि यह लिया गया था और कुछ कर्मचारियों को शामिल किया गया था। हम उन कर्मचारियों की स्थिति पर कुछ भी कहने का इरादा नहीं रखते हैं जिन्हें पहले से ही 2012 का प्रतिवाद आई ए संख्या 3 के लिए आवेदन के रूप में अवशोषित किया गया है। नं. 2012 का 3, दिनांक 29.8.2013 के आदेश द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उसी से संबंधित विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। हम केवल उन कर्मचारियों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिन्हें अवशोषित नहीं किया गया है और जिन्हें किसी भी तिमाही से वेतन नहीं मिला है।

40. इस समय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13.9.2004 के आदेश का उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त निर्णय 13.8.2004 को रिट याचिका संख्या 2002 का 488 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में लिया गया था। केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकरण ने बैठकों में जो हुआ उसका उल्लेख करने और बिहार और झारखंड राज्य के विचारों के संबंध में अंतर को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

"और जबकि, केंद्र सरकार का मानना है कि आज की तारीख में भाल्को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 65 के संदर्भ में बिहार सरकार के नियंत्रण में है और क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही पंद्रह कंपनियों के परिसमापन के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है और बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। भालको अब इसलिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 65 (1) और (2) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि बिहार सरकार बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कंपनी (भालको) के संबंध में परिसमापन कार्यवाही शुरू करेगी, जिसके लिए झारखंड सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है।

41. इस स्तर पर झारखंड राज्य का आचरण ध्यान देने योग्य है। हम दोहराते हैं कि हम पहले ही डिवीजन बेंच के इस विचार को मंजूरी दे चुके हैं कि झारखंड राज्य एकतरफा तरीके से निर्णय नहीं ले सकता था। लेकिन जो कदम उठाए थे, वे इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि हम बाद के चरण में क्या निर्देशित करने जा रहे हैं। तथ्यों के अप्रमाणित होने से यह स्पष्ट है कि भाल्को के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दा भाल्को के अधिग्रहण और इसे झाल्को के रूप में कार्यात्मक बनाने के लिए झारखंड राज्य के समक्ष विचार के लिए आया था। 9.1.2002 को कार्योत्तर अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल का एक ज्ञापन तैयार किया गया था। भाल्को को झाल्को के रूप में अधिग्रहण और अपनाने का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के समक्ष रखा गया थाः-

"6. इस प्रकार इन परिस्थितियों में अधिग्रहण और भाल्को को झाल्को के रूप में अपनाने का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तावित किया गया हैः

ए. झालको के स्थापना व्यय को कम किया जाएगा। इसके लिए उन कर्मचारियों की सेवाएं जिन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया है, उन्हें नियमों के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा।

बी. झालको को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी और यह वाणिज्यिक आधार पर कार्य करेगी और अपने स्वयं के स्रोतों से अपने कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करेगी।

सी. 15.11.2000 से पूर्व की अवधि से संबंधित वेतन का बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

डी. JHALCO में किसी भी परिस्थिति में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

ई. झालको संघ के ज्ञापन और अनुच्छेदों को समग्र रूप से स्वीकार किया जाएगा और बिहार राज्य और जहां भी इसका उल्लेख किया गया है, को तदनुसार, ज्ञापन को संशोधित माना जाएगा।

एफ . सरकार झालको को शेयर पूंजी के रूप में 5.00 (पांच) करोड़ रुपये और 15.11.2000 से 31.3.2000 की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए 5.25 करोड़ रुपये रुपये की राशि प्रदान करेगी ।

7. पैरा 6 के तहत प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी प्राप्त है।

8. पैरा 6 के तहत प्रस्ताव को मुख्य सचिव की मंजूरी प्राप्त है।

9. पैरा 6 के तहत प्रस्ताव को जल संसाधन विभाग मंत्री की मंजूरी प्राप्त है।

10. पैरा 4 के तहत प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त है।

11. उपरोक्त पैरा 4 में रखे गए प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की कार्योत्तर मंजूरी मांगी जाती है।

42. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा यह स्टैंड लिया गया कि 9.1.2002 को सरकार के समक्ष रखे गए प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था। कर्मचारियों की दलील थी कि इसे मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद झाल्को ने स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस जारी कर भाल्को के कर्मचारियों से झाल्को में उनकी सेवाओं के अवशोषण के लिए आवेदन आमंत्रित किए। नोटिस दिनांक 23.2.2003 ने तय किया कि अधिकारी/ कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर झाल्को की सेवा करना चाहते हैं, उक्त उद्देश्य के लिए गठित जांच समिति को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करते समय अधिकारियों/ कर्मचारियों को भाल्को के वैध रूप से नियुक्त कर्मचारी होने का प्रमाण दिखाना आवश्यक था। दिनांक 11.3.2003 के नोटिस के माध्यम से आवेदन जमा करने का समय 15.3.2003 तक बढ़ा दिया गया था। 27.3.2003 को इस आशय का नोटिस जारी किया गया था कि भालको के कर्मचारी जिन्होंने पहले आवेदन जमा किए थे, वे केवल अपना ज्वाइनिंग लेटर जमा करेंगे और जिन कर्मचारियों ने पहले आवेदन जमा नहीं किए थे, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और ज्वाइनिंग लेटर भी जमा करेंगे।

[दीपक मिश्रा, जे।]

यह निर्धारित किया गया था कि ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर की स्वीकृति की तारीख से झाल्को के कर्मचारी के रूप में माना जाएगा और उनका वेतन उस तारीख से झाल्को द्वारा देय होगा। दिनांक 31.7.2003 के नोटिस को 7.8.2003 तक बढ़ा दिया गया था। अंततः झालको के प्रबंध निदेशक ने 17.4.2004 को भालको के एक कर्मचारी के संबंध में एक कार्यालय आदेश पारित किया जिसे एक नमूना आदेश के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। उक्त कार्यालय आदेश में निर्धारित शर्तों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

1. यह व्यवस्था पूरी तरह से अस्थायी है।

2. भालको में अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

3. शामिल होने की तारीख से पहले की अवधि का कोई बकाया देय नहीं होगा।

4. आवश्यकता और योजना के अनुसार झालको में कहीं भी तैनात/ नियुक्त किया जा सकता है।

5. यदि ज्वाइनिंग और आवेदन में गलत जानकारी पाई जाती है तो वह विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कर्मचारियों की उक्त श्रेणी की सेवाओं को झालको, में शामिल होने की तारीख को 20.4.2004 से प्रभावी बनाया गया था।

43. झारखंड राज्य द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि उसने जिम्मेदारी ली और बिहार राज्य ने, जैसा कि यह प्रतीत होता है, मौन रूप से उस पद को स्वीकार कर लिया जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी झाल्को की दया बने रहे ।

बाद के चरण में, जैसा कि पहले देखा गया था, दोनों राज्यों के बीच असहमति और मतभेद के कारण विवाद उत्पन्न हुआ और यह कहा गया कि परिसमापन की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया था और केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 65 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य को परिसमापन की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

झारखंड सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया। झारखंड राज्य के अस्थिर रुख के कारण एक परेशान करने वाली और असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। यह विवाद में नहीं है कि झाल्को ने कुछ कर्मचारियों को शामिल किया, लेकिन किसी न किसी बहाने से अन्य कर्मचारियों से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

संपत्तियों और देनदारियों को लेकर मतभेद है। हम न तो उक्त विवाद से संबंधित हैं और न ही हम कोई राय व्यक्त करना चाहते हैं।

44. उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य को 16.6.2011 तक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है और झाल्को को गैर- अवशोषित कर्मचारियों को अवशोषित करने का निर्देश दिया है। झारखंड राज्य और झाल्को के विद्वान वकील ने हताश मामलों की तस्वीर पेश की है और इस दलील को आगे बढ़ाया है कि कोई रिक्ति नहीं है।

जैसा कि पहले कहा गया है, उत्तरदाताओं- कर्मचारियों के विद्वान वकील ने मुकदमे को शांत करने के लिए राहत को ढालने का सुझाव दिया है।

45. उभरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य की भूमिका पर ध्यान देने के लिए मजबूर हैं। सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ 15 में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस प्रकार कहा हैः-

"सामाजिक न्याय हमारे संविधान की अंतरात्मा है, राज्य आर्थिक न्याय का प्रवर्तक है, और संस्थापक विश्वास जो संविधान को बनाए रखता है भारतीय मानवता है। सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक विवेक वाला एक आदर्श नियोक्ता है, न कि एक कृत्रिम व्यक्ति जिसके शरीर को जलाया जाना है या आत्मा को दंडित किया जाना है।

46. गुरमैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 16 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य से कार्रवाई में निष्पक्षता दिखाने की अपेक्षा की जाती है।

47. बैराम गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, 17 में न्यायालय ने कहा कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ उच्च ईमानदारी और स्पष्टता के साथ व्यवहार करना चाहिए।

48. हरियाणा राज्य बनाम प्यारा सिंह 16 वाले मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ऐसे मामलों में न्यायालय की मुख्य चिंता कानून के शासन को सुनिश्चित करना और यह देखना है कि कार्यपालिका निष्पक्ष रूप से कार्य करती है और अपने कर्मचारियों को अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं सी के अनुरूप एक उचित सौदा देती है।

49. भूपेंद्र नाथ हजारिका और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य 19 में एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य की भूमिका पर जोर देते हुए हालांकि एक अलग संदर्भ में कोर्ट ने कहाः "यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कर्मचारियों की वैध आकांक्षाओं को दोषी नहीं ठहराया जाता है और ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जाती है जहां आशा निराशा में समाप्त हो जाती है। सभी के लिए आशा बहुत कीमती है और एक आदर्श नियोक्ता को अपनी वरिष्ठता के साथ शतरंज का खेल खेलकर इसे धोखेबाज और विश्वासघाती में नहीं बदलना चाहिए। हर कदम पर शांत संवेदनशीलता और संबंधित ईमानदारी की भावना झलकनी चाहिए। विश्वास का माहौल कायम होना चाहिए और जब कर्मचारी पूरी तरह से आश्वस्त हों कि उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा और उनके साथ गरिमापूर्ण निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया जाएगा, तभी सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

50. यदि वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स का परीक्षण उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि दोनों राज्यों और निगमों ने "आदर्श नियोक्ता" की अवधारणा का आसानी से बहिष्कार किया है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने जिम्मेदारी से दूर और ऐसी स्थिति में अपनी भूमिका से बेखबर बिना किसी दृष्टि के प्रशांत शांति के साथ ऐसा किया है ।

उनका कार्य भावनाहीनता, अस्थिरता की प्रवृत्ति और क्रूरता के साथ विचलन के दृष्टिकोण को दर्शाता है। न तो राज्यों और न ही निगमों ने कर्मचारियों की आजीविका के बारे में एक पल के लिए भी सोचा है। वे उस स्थिति के लिए पूरी तरह से अलग रहे हैं जिस स्थिति में कर्मचारियों को मजबूर किया गया है। सुशासन की स्थिति में सरकार विदेशी की तरह काम नहीं कर सकती। इसकी सक्रिय भूमिका है। इसमें एक रचनात्मक और प्रगतिशील दृष्टि होनी चाहिए। यदि राज्य का विभाजन नहीं होता तो भाल्को के कर्मचारियों का क्या होता यह पूरी तरह से अलग मामला है। विभाजन के कारण केवल त्रासदी रह गई है। यह सच है कि कानून के तहत विभाजन हुआ है और केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की भूमिका सौंपी गई है। लेकिन कर्मचारियों के साथ जो प्रयोग किया गया है जैसे कि वे गिनी सूअर हैं, वह कानूनी रूप से अनुमेय नहीं है और निर्विवाद रूप से पूरी तरह से अनुचित है। यह संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाता है और किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

51. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थियों द्वारा अत्यधिक तीव्रता के साथ एक तर्क का प्रचार किया गया था कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले उत्तरदाताओं- कर्मचारियों के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम राहत केवल उत्तरदाताओं तक ही सीमित रखेंगे। इससे पहले इस न्यायालय ने एक समिति का गठन किया था और बिहार राज्य ने सभी निगमों के लिए पचास करोड़ रुपये जमा किए थे और - भाल्को में काम करने वाले जिन कर्मचारियों को 1995 से वेतन नहीं दिया गया था, उन्हें आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाता था। उनकी पहचान है। जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, उनके कानूनी प्रतिनिधियों की आसानी से पहचान की जा सकती है।

अत्यंत जरूरतमंद व्यक्ति अपना बकाया पाने के लिए दो प्रयोगशील राज्यों के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता है। सुश्री प्रिया हिंगोरानी द्वारा प्रस्तुत यह संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य है कि सभी को उनके बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए जैसा कि यह न्यायालय उचित समझे।

[श्री दीपक मिश्रा, न्यायाधीश]

52. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और संविधान के तहत सामाजिक न्याय की अवधारणा, एक कल्याणकारी राज्य में एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका और दोनों राज्यों के आचरण को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं: –

(i) जिन कर्मचारियों को इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य द्वारा पचास करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिए जाने के बाद निश्चित राशि का भुगतान किया गया था और उन्हें झालको द्वारा अवशोषित नहीं किया गया है, उन्हें 1.1.1995 से 29.12.2001 तक उनका वेतन दिया जाना चाहिए।

(ii) बिहार राज्य आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्देशों का पालन करेगा क्योंकि वे उन कर्मचारियों के नामों से अवगत हैं जिन्हें पहले की गई जमा राशि से आनुपातिक रूप से भुगतान किया गया था।

(iii) झारखंड राज्य 29.12.2001 से 13.9.2004 तक भुगतान करेगा। हमने झारखंड राज्य के लिए कट- ऑफ तिथि तय की है क्योंकि इसने 29.12.2001 को अधिसूचना जारी की थी जिससे गलत धारणा और भ्रम पैदा हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को परिसमापन के लिए कहने का निर्णय लेने की तारीख को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के लिए तिथि निर्धारित की गई है।

(iv) झारखंड राज्य उन कर्मचारियों या उनके कर्मचारियों के कानूनी प्रतिनिधियों को चार महीने की अवधि के भीतर राशि का भुगतान करेगा, जिन्होंने बिहार राज्य से अनुपात में राशि प्राप्त की है।

(v) बिहार राज्य इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर पहले से ही भुगतान की गई राशि में कटौती करेगा।

हालांकि, झारखंड राज्य निर्देशित अवधि के लिए वेतन की पूरी राशि का भुगतान करेगा क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि इसने कर्मचारियों को कुछ भी भुगतान नहीं किया है।

(vi) दोनों राज्य वेतन संशोधन का लाभ प्रदान करने के बाद वेतन घटक की गणना करेंगे जो अन्य कर्मचारियों को दिया गया है।

(vii) भुगतान के लिए निर्देशित राशि का भुगतान प्रति वर्ष 7.5% साधारण ब्याज के साथ किया जाएगा।

(viii) अवशोषण का दावा बंद हो जाता है।

53. अपीलों का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है और तदनुसार, डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश को संशोधित किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।